

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 651/2022

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

1. यारू खॉ पुत्र रामधन खॉ
निवासी- बीठड़ी तहसील फलौदी
जिला फलौदी

1. श्रीमती गुंजन पत्नी राजेश पंवार,
निवासी-भोजाकोर हाल प्रताप नगर,
जोधपुर
2. महेश पंवार पुत्र हिम्मताराम पंवार,
निवासी- भोजाकोर तहसील देवू
जिला फलौदी
3. तहसीलदार, फलौदी
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक, नई
सड़क, फलौदी।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.05.2019 को उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 43/2019 अनवान गुंजन वगैराह बनाम तहसीलदार, फलौदी वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थिति:—

1. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता अपीलान्तस् की ओर से।
2. श्री प्रवीण कुमार सोलंकी अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टस संख्या 1, 2 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों संख्या 3 की ओर से।
4. श्री ललित व्यास, अधिवक्ता, रेस्पों संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 1-6-26.

1. अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 43/2019 अनवान गुंजन वगैराह बनाम तहसीलदार, फलौदी वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 के विरुद्ध यह प्रथम अपील दिनांक 24.11.2022 को प्रस्तुत की गई। रेस्पों संख्या 1 ने धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम फलौदी के ख०सं० 641/780 रकबा 15 बीघा व ख०सं० 641/779 रकबा 15 बीघा, ख०सं० 641/755 की तरमीम की दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने महज तीन दिवस में दिनांक 30.5.2019 को स्वीकार कर रेस्पों संख्या 1 की मांग से ज्यादा एक अन्य


अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 651/2022 अनवान यारू खॉ बनाम गुंजन वगैराह

ख0सं0 641/754 को रेलवे से 100 गज छोड़ते हुए तरमीम संशोधन करने का आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

2. पक्षकरान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील पेश किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार कथन किया कि ग्राम फलौदी के ख0सं0 641 में अपीलान्ट का कब्जा है तथा ढाणी, पानी का टांका बना हुआ है और सपरिवार निवास करता है जिसमें रेस्प0 संख्या 1 व 2 ने 100 गज की भूमि एलोटमेन्ट से खरीदशुदा भूमि को धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्राप्त कर लिया और अपीलान्ट के हिस्से में तरमीम करवाने का आदेश दिनांक 30.5.2019 को पारित कर दिया गया। जिसमें अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि अपीलान्ट का हक-हिस्सा प्रभावित हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। रेस्प0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए लिखित में जबाब पेश करते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था और न ही प्रभावित पक्षकार है और उनका यह कथन कि ख0सं0 641 में उसका कथित कब्जा है, गलत होने से अस्वीकार है। उनके द्वारा अपने कब्जे व स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ख0सं0 641 रकबा 20 बीघा भूमि स्वीकृत रूप से पहले से राजकीय सिवायचक है जो वर्तमान में नगरपालिका फलौदी के नाम से चली आ रही है और कानूनन तृतीय पक्षकार जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था और कानूनन तृतीय पक्षकार को अपील, रिवीजन, रिव्यू पेश करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट की अपील इसी बिन्दू पर काबिले खारिज के है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्प0 संख्या 1 व 2 से मिलीभगती से महज तीन दिन में ही रेकर्ड दुरुस्ती का आदेश पारित करते हुए रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया गया। अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी अपीलान्ट के कब्जे की भूमि ख0सं. 641 में रेस्प0.संख्या 1 व 2 को एलोटमेन्ट से खरीदशुदा भूमि ख0सं0 641/780, 641/779,

du
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 651/2022 अनवान यारू खॉ बनाम गुंजन वगैराह

641/755, 641/754 को 100 गज अपीलान्ट के हिस्से में दर्शा दिया गया। अपीलान्ट की उक्त भूमि में रेसपो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा भेजे गये आदमी दिनांक 17.11.2022 कब्जा करने आये, तब अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की जानकारी हुई। तब प्रथम जानकारी होने पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील अन्दर मियाद पेश की है। अपीलान्ट एक गरीब, पिछडा वर्ग का ग्रामीण व्यक्ति होने से उसे कानून की जानकारी नहीं है। अपीलान्ट ने जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए मैरिट पर निर्णित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। रेसपो. संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने लिखित में मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था और कानून तृतीय पक्षकार को अपील, रिवीजन, रिव्यू पेश करने का अधिकार नहीं है तथा उक्त अपील अन्दर मियाद भी नहीं है जो इसी बिन्दू पर काबिले खारिज के है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन दिनांक 30.5.2019 के तीन वर्ष बाद अपील पेश की है। अपीलान्ट ने तो उपरोक्त खसरा भूमि का खातेदार है और न ही उसका कब्जा उपयोग व उपभोग में है। ऐसे में सक्षम न्यायालय से घोषणा कराये बगैर कोई अपील पेश करने अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट ने यह अपील रेसपो0 को हैरान परेशान करने व जवाबदेहिन्दा रेकर्डेड खातेदारों को बदनियती, बाधा पहुंचाने की कुचेष्टा से यह अपील पेश की है अतः अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

4. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के गुणावगुण के सम्बन्ध में यह कथन किया कि रेसपो0 संख्या 1 ने धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम फलौदी के ख0सं0 641/780 रकबा 15 बीघा व ख0सं0 641/779 रकबा 15 बीघा, ख0सं0 641/755 की तरमीम की दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने महज तीन दिवस में दिनांक 30.5.2019 को स्वीकार कर रेसपो0 संख्या 1 की मांग से ज्यादा एक अन्य ख0सं0 641/754 को रेलवे से 100 गज छोड़ते हुए तरमीम संशोधन करने का आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.5.2019 को प्रकरण पेश किया गया जिसके नोटिस रेसपो0 संख्या 3 व

du
अतिरिक्त सम्भागाय आयुक्त
जोधपुर

4 को जारी नहीं हुए और न ही नोटिस में कोई तारीख अंकित की गई, न ही प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया है, न ही प्रकरण में नोटिस व फर्द तलबाना में कोई तारीख अंकित की है। रेस्पो. संख्या 3 व 4 के नोटिस की प्रतियाँ पत्रावली में ही मौजूद है जिसकी प्रमाणित प्रति में कोई तारीखों का अंकन नहीं है, इससे स्पष्ट है कि नोटिस जारी ही नहीं हुए। दिनांक 30.5.2019 की आदेशिका में रेस्पो. संख्या 4 की तामील का कोई विवरण नहीं है एवं तहसीलदार द्वारा बिना तामील के ही किस प्रकार से मौका रिपोर्ट पेश की गई और दिनांक 30.5.2019 को ही पत्रावली फ़ैसल कर दी गई। रेस्पो. संख्या 1 व 2 को भूमि को उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ अपीलान्ट की कब्जा व काशत की भूमि में 100 गज की तरमीम आगे बढ़ाकर अपीलान्ट की भूमि में कर दी गई एवं रेलवे लाईन के पास 100 गज भूमि छोड़ दी गई जो निम्नानुसार धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरुस्त नहीं की जा सकती है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम में लिपिकिय त्रुटि को या गणना की त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। ख0सं0 641/780, 641/779, 641/755, 641/754 रकबा कमशः 15 बीघा प्रत्येक कुल रकबा 60 बीघा का एलोटमेन्ट रेलवे लाईन से किया गया था एवं नियमानुसार उक्त एलोटमेन्ट सुदा भूमि फलौदी नगरपालिका सीमा में होने से एलोटमेन्ट होने योग्य नहीं थी, न ही रेलवे लाईन से चिपती हुई भूमि एलोटमेन्ट की जा सकती थी। राज0 लैण्ड रेवेन्य (एलोटमेन्ट लैण्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रपज) रूल्स, 1970 के रूल 4 (5)(इ) में रेलवे बाउण्ड्री से एक सौ यार्ड यानी 300 फूट की दूरी तक एलोटमेन्ट नहीं किया जा सकता था। अगर एलोटमेन्ट कर भी दिया गया तो 300 फीट की दूरी तक की भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खसरों की भूमि से कम की जानी चाहिये थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त खसरा की भूमि को उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ा दिया गया एवं अन्य खसरा की भूमि कम कर रेकर्ड दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है।

7. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 मूल आवंटी न होकर आवंटियों से भूमि खरीद कर खातेदार बने हैं जिनके बेचाननामें में रेलवे बाउण्ड्री की सीमा से तरमीमशुदा भूमि की खरीद की गई है। उक्त तरमीम को दुरुस्त करवाने का खरीददार को कोई अधिकार नहीं है, वे



du
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रजिस्ट्री की भूमि में ही अपना हक जता सकता है, अगर आवंटन गलत है तो वो निरस्त होना चाहिये या आवंटन में से रेलवे बाउण्ड्री से 300 फुट भूमि कम होगी। उस आवंटन को अन्य खसरा भूमि में आगे बढ़ाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। आवंटनशुदा भूमि के उत्तर दिशा में अपीलान्ट का पुराना कब्जा व ढाणी व टांका बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों आवंटन की भूमि को रेलवे बाउण्ड्री से 100 गज भूमि आगे खीसकाते हुए अपीलान्ट के कब्जे व काफ्त की भूमि में दर्शाई गई है जो कतई न्यायोचित व न्याय संगत नहीं है, जो कि काबिले निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों संख्या 1 व 2 को फायदा पहुंचाने के लिये सभी खसरान का पुनः सीमांकन किया गया व सभी एलोटमेन्ट को उत्तर की दिशा में आगे खिसका कर अपीलान्ट की कब्जे वाली भूमि ख०सं० 641 में 100 गज की भूमि रेस्पों संख्या 1 व 2 को खातेदार दर्ज करने का आदेश दे दिया गया, जो निरस्त करने योग्य है। उक्त आवंटन, आवंटन कमेटी के द्वारा किया जाकर मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम की गई है, अगर तरमीम रेलवे बाउण्ड्री की सीमा छोड़ते हुए नहीं की गई है तो उक्त स्थान का आवंटन एलोटमेन्ट रूल्स के अनुसार नहीं हुए तो धारा 14(14) के तहत निरस्त किया जा सकता है।

8. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेलवे लाईन के पास व नगरपालिका की सीमा में ख०सं० 641 मौजा फलौदी की कृषि भूमि आवंटन योग्य नहीं थी तो उन्हें धारा 136 के तहत रेकॉर्ड दुरुस्ती नहीं की जा सकती थी और अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों संख्या 1 व 2 को पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों संख्या 1 व 2 के एलोटमेन्ट को 100 गज आगे खिसकाने का आदेश पारित कर दिया है और अपीलान्ट की भूमि में खातेदारी के अधिकार प्रदान कर, नक्शे में तरमीम कर दी गई है, ऐसे में अपीलान्ट के हित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि ख०सं० 641 में अपीलान्ट का कब्जा काशत है। इस कारण से अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश दिनांक 30.5.2019 को निरस्त फरमाया जाकर ख०सं० 641/780, 641/779, 641/77, 641/754 ग्राम फलौदी के ख०सं० रेलवे बाउण्ड्री के पास इन खसरा में 300 फुट भूमि कम की जाकर शेष राजस्व



du
अतिरिक्त सम्भागाध्यक्ष
जोधपुर

रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खाते में दर्ज करने का आदेश प्रदान करते हुए इन खसरो के उत्तर दिशा में अपीलान्ट के ख0सं0 641 की भूमि में उपरोक्त खसरा भूमि तरमीम नहीं करने का आदेश प्रदान करावें।

9. प्रत्युतर में रेस्पो. संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.5.2019 से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है और न ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की वर्णित भूमि का पडौसी खातेदार है, अपीलान्ट के द्वारा उक्त खसरा संख्या 641 में कब्जा करते हुए अतिक्रमण कर रखा है जिसके आधार पर वह किसी की खातेदारी भूमि के तरमीम दुरुस्ती के प्रार्थनापत्र पर की गई कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकता है। अतः अपील खारिज योग्य है।

10. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अपनी इस अपील में एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित ख0सं0 641/780, 641/779 व 641/755, 641/754 की राजस्व नक्शे में की गई तरमीम को दुरुस्त कर तहसीलदार फलौदी के द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 में दर्षित नजरी नक्शा (कब्जा काश्त) अनुसार तरमीम नियमानुसार रेलवे से निर्धारित दूरी 100 गज छोड़ते हुए संशोधन किये जाने के पारित आदेश से वह व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार रहा है और उनकी खातेदारी भूमि के हक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अपीलान्ट की अपील इसी बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है।

11. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुए प्रार्थनापत्र में उनके द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) को पक्षकार बनाया गया था तथा तहसीलदार, फलौदी की ओर से पटवारी हल्का से मौका फर्द तैयार करवाकर पेश करवाई गई जिसमें राजस्व कर्मचारियों के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान नक्शा में दर्ज तरमीम को रेलवे लाईन की भूमि ख0सं0 652 से 100 गज दूरी छोड़कर संशोधन कर पुनः किया जाने की अनुशंसा की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसी को आधार मानकर तरमीम दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त मौका फर्द के



due
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 651/2022 अनवान यारू खॉ बनाम गुंजन वगैराह

अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये गये हैं जो उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य हैं।

12. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में यह प्रावधान किये हुए हैं कि तरमीम दुरुस्ती हेतु वर्णित की गई भूमि के प्रभावित खातेदार/काप्तकार की तरमीम दुरुस्ती/शुद्धि हेतु सहमति होने पर ही तरमीम दुरुस्ती करवाई जा सकती है। प्रार्थी/रेस्पो0 के प्रकरण में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में भूमिधारी (तहसीलदार) की ओर से की गई अभिशंषा/ सहमति भिजवाये जाने के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया गया है, जो उचित होने से यथावत रखा जावे। अपीलान्त के द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र एवं अपील पेश करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी ऐसे कोई तथ्य एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाधीन खसरा की भूमि में उनका हित अधिकार दर्ज रहा हो या अपीलाधीन आदेश से उनकी भूमि में तरमीम कर दी गई हो। मात्र कथित कब्जे के आधार पर उनको अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है।



13. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ख0सं0 641 रकबा 20.00 बीघा भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज रही है जो वर्तमान में नगरपालिका फलौदी के नाम दर्ज चली आ रही है। यदि रेस्पोडेन्ट के खसरे के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति की जाती तो नगरपालिका फलौदी की ओर से की जाती। रेस्पोडेन्ट के खसरा भूमि के सम्बन्ध में ख0सं0 641 जो राजकीय भूमि दर्शित है, उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति तहसीलदार के द्वारा की जा सकती थी, परन्तु राजस्व कार्मिकों के द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि के सम्बन्ध में तरमीम करवाये जाने का निवेदन किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट की उक्त मांग जायज रही है। अपीलान्त उक्त भूमि की तरमीम की दुरुस्ती कार्यवाही से प्रभावित नहीं है। अपीलान्त को अपने कब्जे साबित करने, स्वामित्व की घोषणा कराये बिना कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अपीलान्त की ओर से पेश दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि अपीलान्त के द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायालय फलौदी के समक्ष धारा 88, 188 राज. अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में वाद दायर किया गया है, जो कि

du
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 651/2022 अनवान यारू खॉ बनाम गुंजन वगैराह

अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 पारित होने के बाद अपीलान्त की ओर से पेश किया गया है। अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही भी तहसीलदार कार्यालय की ओर से किया जाना प्रकट होता है, ऐसे में अपीलान्त को अपील पेश करने का भी अधिकार नहीं रहता है। रेस्पोजेन्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतिया तथा न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये गये जिनका गहनता से अवलोकन किया गया यथा:-2002(1) आरआरटी पेज 142, 2025 NCRJ-JD-30488 2009 आरआरटी पेज 155,2014(4)(डब्लूएलएन-313), 2013(1) (आरआरटी), 1956 आरएलडब्लू पेज 123, 1960 आरआरडी पेज 118, सिविल रिट पीटिशन संख्या 3805/14 निर्णय दिनांक 16.2.2015, सेक्शन 5, लिमिटेशन एक्ट इत्यादि।

14. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अन्त में यह कथन किया कि रेस्पोजेन्ट की ओर से दर्शाये गये तथ्यों एवं उल्लेखित किये गये कथनों के आधार पर अपीलान्त की अपील मियाद बाहर होने से तथा अपील पेश किये जाने की अनुमति नहीं दिये जाने के आधार पर खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 को यथावत रखा जावे।



15. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्त ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.5.2019 में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 की वर्णित ख0सं0 641/780, 641/779 व 641/755, 641/754 की भूमि की राजस्व नक्शे में की गई तरमीम को दुरुस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार, फलौदी को नोटिस जारी नहीं किये गये और न ही प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज हुआ है, साथ ही रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि को उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ अपीलान्त की कब्जा काश्त वाली भूमि में 100 गज की तरमीम आगे बढ़ाकर कर दी गई है और रेलवे लाईन के पास 100 गज भूमि छोड़ दी गई जो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरुस्त नहीं की जा सकती थी। दिनांक 17.11.2022 को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से भूमि पर कब्जा करने आये तब अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.5.2019 की जानकारी हुई थी। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के

due
अतिरिक्त सम्भागीय
जोधपुर

द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे।

16. अपील प्रकरण में प्रथमतः तौर पर यह तो सर्वविदित तथ्य है कि अपीलान्त वादग्रस्त भूमि पर पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलान्त के द्वारा इस अपील में मात्र ख0सं0 641 पर उनकी ओर से किये गये कब्जे के आधार पर अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलान्त के द्वारा अपने उक्त कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, फलौदी के न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया जाना भी प्रकट होता है, ऐसे में जब तक उनको खातेदार अधिकार सम्बन्धी अनुतोष सक्षम न्यायालय से प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक वह राजकीय खसरा भूमि पर कथित कब्जे को अपनी भूमि नहीं दर्शा सकते हैं और न ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उज्र एतराज पेश करने का अधिकारी नहीं हो सकते हैं और न ही उनके अनुमति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 30.5.2019 के विरुद्ध अपीलान्त की ओर से दिनांक 24.11.2022 को यह अपील पेश की गई है, इस विलम्ब की अवधि के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा कोई ठोस तथ्य अथवा साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि उनको जानकारी दिनांक 17.11.2022 को ही हुई हो, मात्र यह लिख दिये जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से व्यक्ति कब्जे हेतु मौके पर आये, तब जानकारी हुई है, जो मानने योग्य नहीं हो सकते हैं। विलम्ब के प्रत्येक दिवस को शमन करने हेतु ठोस कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में मियाद प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना जा सकता है।

17. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा ख0सं0 641/780, 641/779 व 641/755, 641/754 की राजस्व नक्शे में पूर्व में की गई तरमीम को कब्जे के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आवेदन के सम्बन्ध में तहसीलदार, फलौदी से रिपोर्ट तलब की गई है। तहसीलदार फलौदी की ओर से तैयार करवाई मौका फर्द/रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 में दर्षित नजरी नक्शा (कब्जा काश्त) के अनुसार तरमीम नियमानुसार रेलवे से निर्धारित दूरी 100 गज दूरी छोड़कर संशोधन करने



du
अतिरिक्त सम्भागीय आधुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 651/2022 अनवान यारू खॉ बनाम गुंजन वगैराह

की अनुशंषा की जाने पर यानि भूमिधारी की अपेक्षित सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तरमीम दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त मौका फर्द के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये गये है जो कि धारा 131, 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित किया हुआ प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन व विश्लेषण किये जाने के आधार पर अपीलान्त की अपील सारहीन, आधारहीन, मियाद बाहर व अनुमति बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 1/6/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



du
1/6/26.

(सुनिता चौधरी)

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर